



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

चैत्र 4, गुरुवार, शाके 1943-मार्च 25, 2021
Chaitra 4, Thursday, Saka 1943- March 25, 2021

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 25, 2021

संख्या प.2(15)विधि/2/2021.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2021 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2021

(2021 का अधिनियम संख्यांक 3)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2021 को प्राप्त हुई)

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998, राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005, राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951, राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1956 और राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम.-** इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2021 है।

2. **1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.-** राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 3, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के उपबंध, उक्त अधिनियम के अधीन तुरन्त प्रभावी होंगे।

अध्याय 2

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

3. **1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 2 का संशोधन.-** राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-

- (i) खण्ड (i-क) के अंत में आये विद्यमान विराम चिन्ह "।" के स्थान पर विराम चिन्ह "।;" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित खण्ड (i-क) को, खण्ड (i-ख) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा; और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित विद्यमान खण्ड (i-ख) से पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
- "(i-क) "पैतृक संपत्ति" से किसी के माता या पिता से या उनके पूर्ववर्तियों से विरासत में आई संपत्ति अभिप्रेत है और इसमें किसी सहदायिकी या हिन्दू अविभक्त कुटुंब की संपत्ति सम्मिलित है;" और
- (ii) विद्यमान खण्ड (x-क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
- "(x-क) "रियायत करार" से लोक माल या सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक ओर केन्द्रीय या राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, कानूनी निकाय या उक्त सरकारों का कोई अन्य अभिकरण और दूसरी ओर किसी प्राइवेट संस्था के बीच कोई ऐसा करार अभिप्रेत है जिसमें ऐसी सरकार, प्राधिकारी, निकाय या अभिकरण ऐसे लोक माल या सेवाओं की परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए प्राइवेट संस्था को समर्थ बनाने के लिए उसे किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए अनुज्ञप्ति के माध्यम से कतिपय विनिर्दिष्ट अधिकार प्रदान करता है;"।

4. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 में नयी धारा 64-क का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 64 के पश्चात् और विद्यमान अध्याय 6 से पूर्व निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"64-क. स्टाम्प शुल्क और/या अधिभार के रूप में जमा की गयी रकम जो इस प्रकार उपयोग के लिए अपेक्षित नहीं है, का प्रतिदाय.- जब किसी व्यक्ति ने उसके द्वारा या उसके पक्ष में निष्पादित किये जाने के लिए आशयित किसी लिखत के संबंध में स्टाम्प शुल्क और/या अधिभार के रूप में उपयोग किये जाने के लिए ई-ग्रास के माध्यम से कोई रकम जमा करा दी है, और उसके पश्चात् या तो वह आशयित लिखत निष्पादित नहीं की जाती है या वह रकम उस लिखत के लिए किसी भी कारण से, चाहे जो भी हो, उपयोग नहीं की जा सकती है, या अन्यथा धारा 58 के अधीन प्रतिदेय हो जाती है तो कलक्टर उस तारीख, जिसको ऐसी रकम जमा की गयी है, या, यथास्थिति, प्रतिदेय होने से छह मास के भीतर-भीतर फाइल किये गये आवेदन पर और कलक्टर के समाधानप्रद रूप में यह साबित किये जाने पर-

- (क) कि आशयित लिखत निष्पादित नहीं की गयी है; या
- (ख) कि आवेदन में विनिर्दिष्ट कारण या कारणों से उस लिखत के लिए वह रकम स्टाम्प शुल्क और/या अधिभार के रूप में उपयोग नहीं की जा सकती है या धारा 58 के अधीन प्रतिदेय हो गयी है; और

- (ग) कि प्रतिदाय के लिए आवेदन, रकम जमा कराने की तारीख से या, यथास्थिति, उस तारीख से जिस पर वह रकम प्रतिदेय हो गयी है, छह मास के भीतर-भीतर फाइल किया गया है,

उस रकम को उसमें से प्रत्येक रुपये या रुपये के प्रभाग के लिए दस पैसे की कटौती करते हुए प्रतिदत्त करेगा।"।

5. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची में,-

- (i) अनुच्छेद 5 के खण्ड (ग) में, स्तम्भ सं. 2 के नीचे विद्यमान परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "तीन वर्ष" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "पांच वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ii) अनुच्छेद 35-ख में, विद्यमान खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) किसी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी में या विपर्ययेन संपरिवर्तन की लिखत-

- | | | |
|-----|---|--|
| (क) | जहां संपरिवर्तन पर स्थावर संपत्ति पारिणामिक संस्था में निहित हो | स्थावर संपत्ति के बाजार मूल्य पर दो प्रतिशत। |
| (ख) | किसी अन्य मामले में | पांच हजार रुपये।"; और |

- (iii) अनुच्छेद 48 में, विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) पैतृक संपत्ति के मामले में त्यागे गये शेयर, हित, भाग या दावे के बाजार मूल्य के बराबर रकम का 1.5 प्रतिशत।"

अध्याय 3

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 में संशोधन

6. 2005 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 की धारा 6 का संशोधन.- राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 7) की धारा 6 में,-

- (i) विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
- "(ग) 1 अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाली छह वर्षों की कालावधि के भीतर अपने कुल बकाया ऋण को सकल राज्य देशी उत्पाद के 38.2 प्रतिशत तक सीमित करेगी और तत्पश्चात् उक्त अनुपात को बनाये रखेगी या इसे कम करेगी;" और
- (ii) प्रथम परन्तुक के खण्ड (घ) के अंत में आये विद्यमान विराम चिन्ह "," के स्थान पर अभिव्यक्ति "; या" प्रतिस्थापित की जायेगी और इस प्रकार संशोधित उक्त खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(ड) केन्द्रीय सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के मद्दे अतिरिक्त उधार लेने की सीमा अनुज्ञात किये जाने के कारणः"।

अध्याय 4

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 में संशोधन

7. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 4 का संशोधन.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (2) के विद्यमान प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु,-

- (i) ऐसे अभ्यर्पण या उपयोग में न लाने की कालावधि मंजिली गाड़ि यों के लिए सात दिन से कम और मंजिली गाड़ि यों से भिन्न के लिए तीस दिन से कम की नहीं होगी; और
- (ii) ऐसे अभ्यर्पण की कालावधि, यान के चोरी हो जाने की दशा में के सिवाय, यानों के समस्त प्रवर्गों के लिए नब्बे दिन से अधिक की नहीं होगीः"।

अध्याय 5

राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1956 में संशोधन

8. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 40 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 40) की धारा 3 की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच सौ करोड़ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक हजार करोड़ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

अध्याय 6

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन

9. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 33 का संशोधन.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 33 में विद्यमान उप-धारा (4) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (5) से पूर्व, निम्नलिखित नयी उप-धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(4क) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 30 जून, 2017 तक की किसी कालावधि से संबंधित परिशुद्धि आवेदन, 30 जून, 2021 तक फाइल किया जा सकेगा और ऐसे आवेदन 30 सितम्बर, 2021 तक या उनके फाइल किये जाने की तारीख से छह मास के भीतर-भीतर, जो भी पश्चात्पूर्ती हो, निपटाये जायेंगे।"।

10. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 34 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 34 में विद्यमान उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(3क) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 30 जून, 2017 तक की किसी कालावधि से संबंधित इस धारा के अधीन आवेदन, 30 सितम्बर, 2021 तक संबंधित निर्धारण प्राधिकारी को सीधे ही व्यक्तिशः प्रस्तुत किया जा सकेगा और निर्धारण प्राधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति से नब्बे दिन के भीतर-भीतर नया निर्धारण करने की कार्यवाही करने के लिए अग्रसर होगा।"

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, March 25, 2021**

No. F. 2(15)Vidhi/2/2021.- In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Vitt Adhiniyam, 2021 (2021 Ka Adhiniyam Sankhyank 3):-

(Authorised English Translation)
THE RAJASTHAN FINANCE ACT, 2021
(Act No. 3 of 2021)

(Received the assent of the Governor on the 25th day of March, 2021)

*An
Act*

further to amend the Rajasthan Stamp Act, 1998, the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005, the Rajasthan Motor Vehicle Taxation Act, 1951, the Rajasthan Contingency Fund Act, 1956 and the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, in order to give effect to the financial proposals of the State Government for the financial year 2021-22.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-second Year of the Republic of India, as follows:-

**CHAPTER I
PRELIMINARY**

1. Short title.- This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 2021.

2. Declaration under section 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958.- In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Act No. 23 of 1958) it is hereby declared that it is expedient in the public interest that provisions of clauses 3, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 of this Bill shall have immediate effect under the said Act.

CHAPTER II
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

3. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 2 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

- (i) in clause (ia), for the existing punctuation mark “.” appearing at the end, the punctuation mark “;” shall be substituted and clause (ia), so amended, shall be renumbered as clause (i-b); and before the existing clause (i-b), so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:-

“(i-a) “ancestral property” means the property inherited from one's mother or father or from their predecessors and includes the property of a coparcenary or an Undivided Hindu Family;” and

- (ii) for the existing clause (x-a), the following clause shall be substituted, namely:-

“(x-a) “concession agreement” means an agreement between the Central or State Government, local authority, statutory body or any other instrumentality of said Governments on one hand and a private entity on the other hand for providing public goods or services wherein such Government, authority, body or instrumentality grants certain specified right by way of licence to the private entity for a specified period to enable it to implement the project of such public goods or services;”.

4. Insertion of new section 64-A, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- After the existing section 64 and before the existing CHAPTER VI of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

“64-A. Refund of amount deposited as stamp duty and/or surcharge but not required to be used as such.- When any person has deposited any amount through e-GRAS to be used as stamp duty and/or surcharge in respect of any instrument intended to be executed by or in favour of him and thereafter either the intended instrument is not executed or the amount cannot be used for that instrument for any reason whatsoever or otherwise becomes refundable under section 58, the Collector shall refund such amount, deducting therefrom ten paise for each rupee or fraction of a rupee, upon an application filed within six months from the date on which such amount is deposited or, as the case may be, becomes refundable and proving to the satisfaction of the Collector-

- (a) that the intended instrument has not been executed; or
(b) that the amount cannot be used as stamp duty and/or surcharge for that instrument for the reason or reasons specified in the application or has become refundable under section 58; and
(c) that the application for refund has been filed within six months from the date of deposit of the amount or as the case may be, from the date on which the amount becomes refundable.”.

5. Amendment of Schedule, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In the Schedule to the principal Act,-

- (i) in clause (c) of Article 5, in proviso, appearing under Column No. 2, for the existing expression "three years", the expression "five years" shall be substituted;
- (ii) in Article 35-B, for the existing clause (2), the following shall be substituted, namely:-
- “(2) Instrument of conversion of a firm, a private limited company or an unlisted public limited company into limited liability partnership or *vice-versa*-
- (a) where on conversion immovable property vests in the resultant entity Two percent on the market value of immovable property.
- (b) in any other case Five thousand rupees.”; and
- (iii) in Article 48, for the existing clause (a), the following shall be substituted, namely:-
- “(a) in case of ancestral property 1.5 percent of the amount equal to the market value of the share, interest, part or claim renounced.”.

CHAPTER III

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT ACT, 2005

6. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 7 of 2005.- In section 6 of the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (Act No. 7 of 2005),-

- (i) for the existing clause (c), the following shall be substituted, namely: -
- “(c) restrict its total outstanding debt up to 38.2 per cent of Gross State Domestic Product within a period of six years, beginning from the 1st day of April 2020, and ending on the 31st day of March 2026 and thereafter maintain the said ratio or reduce it;” and
- (ii) in clause (d) of the first proviso, for the existing punctuation mark “:” appearing at the end, the expression “; or” shall be substituted and after the said clause (d), so amended, the following shall be added, namely:-
- “(e) due to additional borrowing limit allowed by the Central Government on account of Covid-19 pandemic:”.

CHAPTER IV

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1951

7. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- For the existing first proviso to sub-section (2) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicle Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the following shall be substituted, namely:-

"Provided that,-

- (i) the period of such surrender or non-use shall not be less than seven days for stage carriages and less than thirty days for other than stage carriages; and

- (ii) the period of such surrender shall not be more than ninety days for all categories of vehicles except in the case of theft of the vehicle:".

CHAPTER V

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN CONTINGENCY FUND ACT, 1956

8. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 40 of 1956.- In sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Contingency Fund Act, 1956 (Act No. 40 of 1956), for the existing expression "five hundred crores of rupees", the expression "one thousand crores of rupees" shall be substituted.

CHAPTER VI

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003

9. Amendment of section 33, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In section 33 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, after the existing sub-section (4) and before the existing sub-section (5), the following new sub-section shall be inserted, namely:-

"(4A) Notwithstanding anything contained in this section, the rectification application pertaining to any period up to 30th June, 2017 may be filed by 30th June, 2021 and such applications shall be disposed of up to 30th September, 2021 or within six months from the date of filing thereof, whichever is later."

10. Amendment of section 34, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In section 34 of the principal Act, after the existing sub-section (3), the following new sub-section shall be added, namely:-

"(3A) Notwithstanding anything contained in this section, the application under this section pertaining to any period up to 30th June, 2017 may be submitted manually, directly to the concerned assessing authority up to 30th September, 2021 and the assessing authority shall proceed to make a fresh assessment within ninety days of the receipt of such application."

विनोद कुमार भारवानी,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।